निदेशक लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश पुरस्कार निधि का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2005 से 31.03.2014

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई की सत्यापना के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 29.03.1995 से 31.03.2000

1	पैरा 4 (3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 11	आंशित निर्णीत	(₹5000 को समायोजन देखा जाना है)
3	पैरा 15 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा 16	अनिर्णीत	
5	पैरा 17 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 18	अनिर्णीत	
9	पैरा 26	अनिर्णीत	
10	पैरा 27	अनिर्णीत	
11	पैरा 30	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2000 से 31.03.2003

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 24	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2003 से 31.03.2005

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करने पर)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारुपित की गई है)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश पुरस्कार निधि के अवधि 04/2005 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार मेहरा व श्री मनजीत भाटिया अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनाँक 10—04—2014, 11—04—2014 व 19—04—2014 को किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/2005, 07/2006, 10/2007, 12/2008, 03/2014, तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04/2005, 09/2006, 11/2007, 03/2009, 03/2010, 10/2013 का चयन किया गया।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा—परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में पाई गई अनियमिताओं के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश पुरस्कार निधि के अवधि 04/2005 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अकेक्षण शुल्क ₹3,600 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण दल के पत्र संख्या 26/2014 दिनाँक 19—4—2014 के अन्तर्गत निदेशक, लघु बचत विभाग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

संस्था द्वारा प्रस्तुत लघु बचत विभाग हि0प्र0 पुरस्कार निधि की अंकेक्षण अवधि (04/2005 से 03/2014) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	योग	भुगतान	अन्तिम शेष
2005—06	5313293.75	2121049	66493.30	7500836.05	1994102.00	5506734.05
2006—07	5506734.05	1054420	246877.00	6808031.05	1787555.05	5020476.00
2007—08	5020476.00	1003780	214779.00	6239035.00	1530326.00	4708709.00
2008—09	4708709.00	1000000	165257.00	5873966.00	750500.00	5123466.00
2009—10	5123466.00	—	181022.00	5304488.00	20000.00	5284488.00
2010—11	5284488.00	—	186781.00	5471269.00	0.00	5471269.00
2011—12	5471269.00	—	222954.00	5694223.00	0.00	5694223.00
2012—13	5694223.00	—	230279.00	5924502.00	0.00	5924502.00
2013—14	5924502.00	5500	235714.00	6165716.00	291350.00	5874366.00

अतः दिनाँक 31—03—2014 को रोकड़ वही व वितीय स्थिति के अनुसार शेष 5874366 था तथा हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक पास बुक (खाता संख्याः 1350103748) के अनुसार भी शेष 5874366 ही था। इस प्रकार रोकड़ वही व वित्तीय स्थिति के अनुसार तथा बैक पास बुक के अनुसार अन्तशेष शेष में कोई अतंर नहीं पाया गया।

5 निवेशः—

(क) सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः—

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश पुरस्कार निधि से दिनाँक 31.03.2014 तक सावधि जमा के रूप में कोई राशि निवेश की गई थी।

(ख) सावधि जमा योजना में निवेश न करने के कारण तथा उचित वितीय प्रवधन न किए जाने के कारण लगभग ₹15,80,502 की ब्याज के रूप में संभावित हानिः—

लघु बचत पुरस्कार निधि के वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लघु बचत पुरस्कार निधि की शेष राशियों को बचत खातों में ही रखा जा रहा था जबकि वर्ष 2008—09 के पश्चात संस्था द्वारा या तो व्यय किया ही नही गया या नाम—मात्र ही व्यय

किया गया। अतः संस्था द्वारा आधिक्य राशियों को अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्धेश्य से सावधि जमा अथवा ऐसी योजनाओं में निवेश नही किया गया था, जहां से अधिक व्याज की प्राप्ति हो सकती थी। यदि वर्ष 2008–09 के पश्चात भी शेष बची राशि में से लगभग 50 लाख रूपये को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता रहा होता तो बचत व्याज से दुगने से भी अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सकती थी। इस प्रकार उचित वित्तीय प्रवधंन न किए जाने के कारण संस्था की निम्न विवरणानुसार लगभग ₹1580502 के ब्याज की आय से वंचित रहना पड़ा जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वर्ष	**राशि जो सावधि जमा में निवेश की जा सकती थी**	**निवेश पर 9% की दर से एक वर्ष की अवधि के लिए जो ब्याज प्राप्त किया जा सकता था**	**वचत खाते की 4% दर से जो व्याज प्राप्त हुआ**	**व्याज के रूप में हानि**
2008—09	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
2009—10	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
2010—11	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
2011—12	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
2012—13	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
2013—14	50,00,000	4,65,417	2,02,000	2,63,417
			योग	**₹15,80,502**

6 वचत भवन रोहड़ू के निर्माण के लिए जारी की गई ₹14,92,176 के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करनाः–

लघु बचत पुरस्कार निधि के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिलाधीश शिमला के माध्यम से लघु बचत पुरस्कार निधि से वाऊचर संख्या 5 दिनाँक 02.11.2007 के अन्तर्गत से ₹1492176/– (चेक संख्या 1836187) द्वारा रोहड़ू में बचत भवन बनाने हेतु जारी की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण में ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही करवाया गया जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि वास्तव में जिस प्रयोजन हेतु उक्त राशि जारी कि गई थी यह राशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गई थी। अतः यह मामला उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है के उक्त राशि की उपयोगता

के सन्दर्भ में उचित छान–बीन की जाए व जारी की गई राशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना ₹65634 का फर्नीचर कय करनाः–

हि0प्र0 वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–1(सी) 14–1/92–खण्ड–II दिनाँक 22.4.1999 के अनुसार किसी भी प्रकार के फर्नीचर का कय करने से पूर्व वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशालय, लघु बचत द्वारा उपरोक्त पत्र की अनुपालना किए बिना ही मै0 रूप फर्नीचर हाऊस, कुनिहार, जिला सोलन से उनके बिल संख्याः 1209, दिनाँक 28.9.2013 के अन्तर्गत ₹65,634 का फर्नीचर का कय किया गया जो कि अनियमित है। इस प्रकरण से यद्यपि वाद में उपरोक्त कय की कार्योतर स्वीकृति वित विभाग से दिनाँक 28.03.2014 को प्राप्त कर ली गयी थी, परन्तु सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का फर्नीचर इत्यादि कय से पूर्व उपरोक्त पत्रानुसार वित विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भी सत्यापित/पारित नही किया गया है। अतः इस संबन्ध में भी अपेक्षित कार्रवाई अब पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 हि0प्र0 राज्य इलेक्ट्रानिकस विकास निगम से कय की ₹97136 की फोटो स्टेट मशीन से सम्बन्धित अनियमितताएः–

निदेशालय, लघु बचत द्वारा हि0प्र0 राज्य इलेक्ट्रानिकस विकास निगम, खलीनी, शिमला से उनके बिल संख्याः 0134, दिनाँक 25.5.2013 के अन्तर्गत ₹97136 की एक फोटोस्टेट मशीन व स्टैब्लाइजर का कय किया गया, जिसका भुगतान दिनाँक 10–10–13 को किया गया। उक्त मशीन को कय करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारिणी द्वारा इस आशय के साथ प्रदान की थी कि वर्ष 1997–98 में कय की गयी पुरानी खराब फोटोस्टेट मशीन का "Buy Back Policy" के अन्तर्गत पुनविकय करना सुनिश्चित किया जाए, परन्तु उक्त स्वीकृति की अवहेलना करते हुये पुरानी मशीन का पुनर्विकय न करते हुए नई मशीन का कय किया गया जिससे पुरानी मशीन के बदले प्राप्त होने वाले छूट (Discount) से वंचित होना पडा जो कि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व पुरानी खराब फोटोस्टेट मशीन की अब नीलामी करनी सुनिश्चित की

जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान बिल/वाउचर को आहरण एवं सवितरण द्वारा सत्यापित एवं पारित नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में भी अपेक्षित कार्रवाई अब पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विज्ञापनों पर किए गए व्यय पर एक प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर (TDS) की ₹2,468 की कटौती न करनाः–

भारत सरकार के वित्त मत्रांलय, राजस्व विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्स के पत्र संख्याः एफ न0 23/97/96–टी0पी0एल0, दिनाँक 03.08.1995 के अनुसार विज्ञापनों पर हुए व्यय का भुगतान करते समय भुगतान की गई कुल राशि में से एक प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर आय कर काटा जाना अपेक्षित था। लघु बचत पुरस्कार निधि से निम्नलिखित प्रकरणों मे ₹2,46,880 का विज्ञापनों पर व्यय किया गया था परन्तु भुगतान करते समय निर्धारित एक प्रतिशत दर से ₹2,468 की आयकर की कटौती नहीं की गयी थी, जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करके एवं उक्त राशि की बसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क0 सं0	चैक संख्या	दिनाँक	जिसे विज्ञापन के बिल का भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	1% की दर से जितनी टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित थी
1	55679	25.4.05	दिव्या हिमाचल, धर्मशाला	19236	192
2	55681	25.4.05	दि ट्रिब्यून ट्रस्ट चंडीगढ़	38883	389
3	55682	25.4.05	दैनिक भास्कर, चंडीगढ़	21339	213
4	55683	25.4.05	हिंदुस्तान टाइम्य, चंडीगढ़	35964	360
5	55684	25.4.05	अमर उजाला, चंडीगढ़	22236	222
6	1836170	25.11.06	दैनिक भास्कर, चंडीगढ़	18918	189
7	1836171	25.11.06	दिव्या हिमाचल, धर्मशाला	27594	276
8	1836172	25.11.06	दि ट्रिब्यून ट्रस्ट चंडीगढ़	31512	315
9	1836173	25.11.06	हिंदुस्तान टाइम्य, चंडीगढ़	31198	312
			कुल	**246880**	**₹2468**

10 लघु बचत निदेशालय द्वारा भुगतान की गई ₹4,56,417 की मूल प्राप्ति/रसीदों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के अबलोकन के दौरान पाया गया कि निदेशालय, लघु बचत द्वारा लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत विजेताओं को पुरस्कार राशि वितरित करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों को निम्न विवरणानुसार ₹4,56,417 का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान की गयी राशियों की मूल प्राप्ति/रसीदों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दिखाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों से इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में निदेशालय द्वारा अपने स्तर पर करके तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये।

क्र0 सं0	जिसे भुगतान किया गया	रोकड़ बही पृष्ठ	भुगतान की तिथि	राशि
1	उपायुक्त चम्बा	210	8.4.05	11750
2	उपायुक्त कांगड़ा	210	8.4.05	201500
3	उपायुक्त मण्डी	210	8.4.05	59000
4	उपायुक्त कुल्लू	210	8.4.05	20500
5	उपायुक्त ऊना	210	8.4.05	64250
6	उपायुक्त बिलासपुर	210	8.4.05	50250
7	उपायुक्त सिरमौर (नाहन)	210	8.4.05	28500
8	उपायुक्त सिरमौर (नाहन)	211	20.4.05	2917
9	उपायुक्त चम्बा	213	27.4.05	1000
10	मोनिका शुक्ला, कांगडा	213	27.4.05	750
11	वरिन्द्र कुमार गौतम, दाडलाघाट	213	27.4.05	500
12	सविता देवी एवं संजय कुमार, हवलादार, द्वारा 56 ए0पी0ओ0	213	27.4.05	500
13	माठी देवी, कुमारसेन	213	27.4.05	500
14	पवन चौहान एवं सरिता तेजटा, जाखु, शिमला	214	28.4.05	500
15	प्यार सिंह जमुआल, कांगड़ा	214	28.4.05	500
16	कृषणा देवी, रामपुर बुशहर	214	28.4.05	500

17	त्रिलोक नाथ, पालमपुर	214	28.4.05	500
18	रमेश गोयल, परमाणु	214	28.4.05	500
19	दर्शन सिंह, परमाणु	214	28.4.05	500
20	ओम प्रकाश गुप्ता, परमाणु	214	28.4.05	500
21	सुरेश कुमार, परमाणु	214	28.4.05	500
22	प्रदीप लोराया, पंचकुला	214	28.4.05	500
23	कनिका, कालका	215	28.4.05	500
24	सुमित अग्रवाल, कालका	215	28.4.05	500
25	देश राज, हमीरपुर	215	28.4.05	1500
26	धनी राम, हमीरपुर	215	28.4.05	500
27	उपायुक्त कांगड़ा	250	6.9.06	500
28	उपायुक्त ऊना	251	26.9.06	5000
29	उपायुक्त कुल्लू	251	26.9.06	1250
			कुल	**456417**

11 लघु बचत निदेशालय द्वारा छपवाए गए ₹44000 के एक लाख केलेण्डर की स्टोक प्रविष्टियां न करनाः—

नियमानुसार संस्था द्वारा प्राप्त प्रत्येक मद को स्टॉक में दर्ज करके इन्हें उचित प्रक्रिया अपनाकर ही खारिज किया जाना अपेक्षत होता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लघु बचत निदेशालय द्वारा मै0 सुपर मल्टीकलर प्रिंटर्स, प्राइवेट लिमिटेड, गाँव किशानपुर बददी—नालागढ़ रोड़ जिला सोलन, हि0प्र0 से उनके बिल संख्याः 110, दिनाँक 5.2.2009 के अन्तर्गत लघु बचत की विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित एक लाख केलेण्डर छपवाये गये थे जिसके लिए प्रति केलेण्डर ₹4.40 की दर से ₹4,40,000 का भुगतान चैक संख्याः 1836190 दिनाँक 31.3.2009 के अन्तर्गत उक्त फर्म को किया गया, परन्तु इन कैलेण्डर की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई यद्यपि नोटिग शीट पर उक्त एक लाख कैलेण्डर की जारी की गयी विवरणी तैयार की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई अब पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

12 पुरस्कार निधि से समय–2 पर खरीदी गई सामग्री/बस्तुयों को मद–वार स्टाँक रजिस्टर में दर्ज न करना तथा न ही स्टाँक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जानाः–

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए स्टाँक रजिस्टर की जाँच–पड़ताल में पाया गया कि पुरस्कार निधि से समय–2 पर खरीदी गई सामग्री/बस्तुयों को लेखा नियमों के अनुसार मद–वार दर्ज नहीं किया गया था जिससे किसी मदद में कितनी मात्रा शेष है, का स्टाँक रजिस्टर के अवलोकन से सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 04/2005 से 03/2014 के दौरान स्टाँक का प्रत्यक्ष सत्यापन भी नही किया गया था जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष समिति बनाकर स्टाँक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः स्टाँक रजिस्टर में मद बार वस्तुओं को दर्ज न करने बारे तथा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किये जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा स्टाँक रजिस्टर में मद वार वस्तुओं को दर्ज करने के अतिरिक्त भविष्य में प्रतिवर्ष समिति बनाकर स्टाँक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्ति किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपति विवरणी अलग से ज़ारी नही की गई थी। लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण स्थल पर ही कर लिया गया था।

14 **निष्कर्षः–** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)213/02 खण्ड–2–5492–5493 दिनांकः 09.09.2014, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 प्रतिलिपि निदेशक लघु बचत योजना "बचत पुरस्कार" शिमला–2 को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करवाने सुनिश्चित करें।

2 श्री अनिल मेहरा अनुभाग अधिकारी द्वारा................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.